न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी सुनील आर्य आर. ए. एस.)

मु0न0–26 / 2012

1. कल्याण सिंह आयु 60 साल पुत्र रामफल जाति गूजर निवासी अड्डा तहसील बयाना जिला भरतपुर राजस्थान।

..... वादी / प्रार्थी

बनाम

1. चन्नी उर्फ चरनी आयु 70 साल पुत्र छाजू जाति गूजर निवासी अड्डा तहसील बयाना जिला भरतपुर राज0

.....मूल प्रतिवादी

2. दिनेश सिंह आयु 45 साल
3. नरेश सिंह आयु 40 साल
4. उमेश सिंह आयु 38 साल
5. सुरेश सिंह आयु 35 साल

पुत्रान स्व0 प्यारसिंह

6. श्रीमति रूमाली आयु 68 साल पत्नी स्व0 प्यारसिंह जाति गूजर निवासी ग्राम अड्डा तहसील बयाना जिला भरतपुर (राज0)
7. श्रीमति राजन्ती आयु 42 साल पुत्री स्व0 प्यारसिंह व पत्नि भूरसिंह जाति गूजर निवासी पावटा तहसील टोडाभीम जिला दौसा।
8. लखन आयु 26 साल
9. श्याम आयु 24 साल
10. भागा आयु 22 साल

पुत्रान सरूपा जाति गूजर निवासी अड्डा तहसील बयाना

..... शोभनार्थ प्रतिवादी

दावा बाबत् डिक्लेरेशन व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

निर्णय दिनांक 01/02/21

उपस्थितिः–

1. श्री हंसराम गूर्जर एडवोकेट वादी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.03.08 12:08:45 IST
Reason: SelfAttested

वादी द्वारा यह दावा डिक्लेरेशन व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया है कि विवादित भूमि पुराने खसरा नम्बर 846, रकवा 1 बीघा 10 विस्वा, 854 रकवा 2 बीघा 18 विस्वा, 871 रकवा 5 बीघा 8 विस्वा, 878 रकवा 8 विस्वा, 879 रकवा 7 विस्वा, 880 रकवा 1 बीघा 6 विस्वा, 881 रकवा

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

18 विस्वा कुल किता 7 कुल रकवा 12 बीघा 15 विस्वा ग्राम खूँटखेडा तहसील बयाना जिला भरतपुर में स्थित है। वर्तमान सैटिलमेन्ट के दौरान उक्त पुराने खसरा नम्बरान के नये खसरा नम्बर 476 रकवा 0.24, 484 रकवा 0.07, 485 रकवा 0.06, 486 रकवा 0.10, 487 रकवा 0.08, 488 रकवा 0.17, 490 रकवा 0.42, 491 रकवा 0.29, 499 रकवा 0.25, 500 रकवा 0.22, 1150 रकवा 0.10, 1151 रकवा 0.07 कुल किता 12 कुल रकवा 2.07 हैक्ट0 से बनाये गये है।

विवादित आराजी के जमावन्दी संम्बत 2040 लगायत 2053 के खाता नम्बर 222 के अनुसार रामसिंह व रामस्वरूप पुत्रान रामधन वहिस्सा बराबर 1/8 व अतर, लखन, मोती पुत्रान करन वहिस्सा बराबर 1/8 व घुर्रू पुत्र सेडू 9/16 व प्रतिवादी संख्या 1 चरनी हिस्सा बकदर 3/16 के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार व काबिज रहे है।

उक्त रिकार्डेड खातेदारान रामसिंह व रामस्वरूप ने अपना 1/8 हिस्सा वादी व स्व0 प्यारसिंह पुत्र कारूसिंह हक में 1/8 हिस्सा दिनांक 29.11.1985 जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय कर दिया है। कि जिसका नामान्तकरण संख्या वादी व उक्त प्यारसिंह पुत्र कारूसिंह के हक में नामान्तकरण संख्या 10 दर्ज व तस्दीक किया गया है। इसके बाद दिनांक 16.11.1988 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र वादी व उक्त प्यारसिंह ने उक्त अतर, लखन, मोती पुत्रान करन का हिस्सा 1/8 और खरीद कर लिया कि जिसका नामान्तकरण संख्या 11 वादी व उक्त प्यारसिंह पुत्र कारूसिंह के हक में दर्ज व तस्दीक किया गया। इस प्रकार वादी उक्त आराजीयात में 1/8 हिस्से का व उक्त प्यारसिंह पुत्र कारूसिंह 1/8 हिस्से का यानि दोनों क्रेतागण मिलकर 1/4 हिस्से के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हो गये और तभी से हम दोनों क्रेतागण अपने 1/4 हिस्से पर वहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे है।

वादी एवं उक्त प्यारसिंह पुत्र कारूसिंह ने मिलकर उक्त आराजीयात में निहित अपने 1/8 हिस्से को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र तारीखी 23.03.1990 प्रतिवादी संख्या 1 के हक में वय कतई मालाकलाम कर दिया कि जिसका नामान्तकरण संख्या 55 दिनांक 02.01.1992 को पटवारी हल्का द्वारा दर्ज किया गया जो तहसील बयाना द्वारा दिनांक 17.01.1992 को स्वीकृत किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1 चन्नी हमारे द्वारा विक्रय किये गये 1/8 हिस्से का खातेदार हो गया लेकिन इसी वयनामा तारीखी 23.03.1990 का पुनः नामान्तकरण संख्या 96 प्रतिवादी संख्या 1 ने बदयान्ती पूर्वक हमको नुकसान पहुंचाने के इरादे से गोपनीय तरीके पर व पहले उक्त नामान्तकरण संख्या 55 के तथ्यों को छिपाते हुए कैम्प खरैरी में श्रीमान तहसीलदार जी बयाना से उसी 1/8 हिस्से का नामान्तकरण स्वीकर करा लिया जो कि सरासर विधि विरूद्ध व मौके व कब्जे काश्त के विरूद्ध है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 ने एक ही विक्रय पत्र के अपने हक में दो बार नामान्तकरण दर्ज व तस्दीक करा लिये है। इसी प्रकार दूसरा नामान्तकरण संख्या 96 अपने आप में गैर कानूनी शून्य व एविनिश्यू बोईड है कि जिसके जरिये प्रतिवादी संख्या 1 को वादी व उक्त प्यारसिंह के विरूद्ध 1/8 हिस्से से हिस्से पर कोई हकूक खातेदार काश्तकारी प्राप्त नहीं होते हैं। इस नामान्तकरण संख्या 96 के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज की गई इन्द्राजात सरासर गलत व गैर कानूनी है व कलमजन होने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.03.08 12:03:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

मुताविक इन्द्राज जमाबन्दी संवत 2040 लगायत 2043 प्रतिवादी संख्या 1 चन्नी 3/16 हिस्से का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज है इसके बाद दिनांक 23.03.1990 को जो 1/8 हिस्सा वादी व प्यारसिंह पुत्र कारूसिंह से खरीद किया उसके अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 चन्नी 5/16 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज होना चाहिये था। और 2/16 हिस्से के वादी व उक्त प्यारसिंह पुत्र कारूसिंह रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होने चाहिये थे व 9/16 का घुर्रू पुत्र सेडू रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होना चाहिये था।

प्रतिवादी संख्या 1 ने चूंकि विक्रय पत्र तारीखी 23.03.1990 का अपने हक में गलत व गैर कानूनी तरीके पर दो बार नामान्तकरण संख्या 55 व 96 दर्ज करा लिये जिस कारण उसके नाम 5/16 के बजाय 7/16 हिस्से की गलत इन्द्राजी वर्तमान जमाबन्दी संवत 2065 लगायत 2068 के खाता संख्या 35 में दर्ज हो रही है। जो कि सरासर उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में मुताविक खण्ड संख्या 5 वाद पत्र गलत व गैर कानूनी है जो कलमजन होने योग्य हैं।

प्रतिवादी संख्या 1 चन्नी की नियत में उक्त गलत इन्द्राजी की आड में बदयान्ती आ गई है जो गइ गलत इन्द्राजी की आड में वादी व प्यारसिंह पुत्र कारूसिंह के 2/16 हिस्से की आराजी को नाजायज व गैर कानूनी तरीके से हडपना चाहता है और हमारे 2/16 हिस्से के रकवे को जल्द से जल्द दीगर व लठैत व्यक्तियों के हक में रजिस्ट्री बगैराह कराकर मुन्तकिल करने पर व बैंक के हक में जल्द से जल्द रहन करके आराजी को सदैव के लिए फंसाने पर उतारू हो गया है। हमको हमारे उक्त 2/16 हिस्से से जबरन बेदखल करने पर व अपना नाजायज कब्जा करने पर उतारू हो गया है कि जिसके संबंध में प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 31.01.2012 को वमुकान खूटखेडा ऐलानियां धमकी दी है।

उक्त रिकार्डेड खातेदारान में से प्यारसिंह पुत्र कारूसिंह का अर्सा करीब 6 माह पहले देहान्त हो गया है कि उसके छोडे हुए 1/16 हिस्से के उसके कानूनी वारिसान शोभनार्थ प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 7 खातेदार काश्तकार व काबिज है। जो इस वाद में वहैसियत वादी शरीक दावा नही हो सके है। इसलिए उन्हें इस वादी में शोभनार्थ प्रतिवादी फरीक मुकदमा बनाया गया है।

प्रतिवादी संख्या 1 अपनी उक्त नाजायज मंशा व धमकी में सफल हो गया तो वादी को अपरमिति क्षति होगी जिसकी पूर्ति रूपया पैसों से भी नही हो सकेगी। अतः वादी को दादरसी डिक्लेरेशन व स्थाई निषेधाज्ञा के लिए यह दावा न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत करना अति आवश्यक को गया है।

अंत में वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिए समन तलब किया गया। न्यायालय हाजा के आदेश [illegible] से प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 10 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई [illegible] वादी संख्या 1, 2, 6 की ओर से श्री धनीराम एडवोकेट जरिए वकीलतन[illegible] को उपस्थित आये। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 3, 4, 5 के विरूद्ध दिनांक 12.08.2016 से एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गई एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2, 6 का जबाव दावा बन्द [illegible] गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.03.08 12:08:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

साक्ष्यवादी में पीडब्ल्यू 1 कल्याणसिंह, पीडब्ल्यू 2 भग्गी, पीडब्ल्यू 3 प्रकाश के शपथ पत्र पेश हुए। दस्तावेजी साक्ष्य में जमावंदी संवत 2065–2068 दाखिल खारिज 55, 96 जमावंदी संवत 2040–2043 व नामान्तकरण संख्या 10, 11 की छायाप्रति पेश किये।

हमने विद्वान अभिभाषकवादी को एक पक्षीय सुना। विद्वान अभिभाषक वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया है। विद्वान अभिभाषक एडवोकेट वादी को सुनने के उपरान्त पत्रावली में संलग्न राजस्व अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया। नामान्तकरण संख्या 10, 55 के अवलोकन पर कि वादी ने अपने वाद को एक ही विक्रय पत्र का दो बार नामान्तकरण होने पर डिक्लरेशन व स्थाई निषेधाज्ञा की दादरसी चाही है। चूंकि नामान्तकरण संख्या 55 विक्रय पत्र दिनांक 23.03.1990 के आधार पर दर्ज हुआ। इसी प्रकार नामान्तकरण संख्या 96 पुनः उसी विक्रय पत्र दिनांक 23.03.1990 के आधार पर पुनः दर्ज कर निर्णित हो गया है। वादी द्वारा विवादित आराजीयात बावत् यह दावा धारा 88, 89, 188 आरटी एक्ट का नामान्तकरण संख्या 96 के गलत इन्द्राजी व तस्दीक होने के आधार पर किया है। वादी को दावा डिक्लरेशन व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश नही कर नामान्तकरण संख्या 96 की अपील सक्षम न्यायालय में पेश करनी चाहिए थी जबकि वादी ने ऐसा नही किया है। वादी को दावे के रूप में न्यायालय हाजा से डिक्लरेशन व स्थाई निषेधाज्ञा की दादरसी दिया जाना न्यायोचित नही है। वाद वादी खारिज योग्य है।

आदेश

अतः वाद वादी खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बरे से कम हो। निर्णय आज दिनांक 01/02/21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

सुनील आर्य
उपखण्ड अधिकारी
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकरी बयाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.03.08 12:03:45 IST
Reason: SelfAttested